राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 5/22

दायर दिनांक 16.02.2022

**पीठासीन अधिकारी—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.**

1. छोटूराम दत्तक पुत्र भैरू जाति माली नि0 सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

—प्रार्थी

**बनाम**

1. प्रेमचन्द पुत्र हीरा जाति माली नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ
2. बाबूलाल पुत्र हीरा जाति माली नि0 सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू—राज0अधि0 1956**

**निर्णय** दिनांक 14.10.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू—अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या 306 के ख0न0 2427/916 रकबा 0.2993 है0 भूमि अवस्थित है, जिसमे प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी के नाम एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद उत्पन ना हो इसलिए उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी को अपने खेतो में भूमि की नींव, सींव मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा उत्पन्न ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना—पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। जवाब सरकार प्राप्त नहीं होने से बन्द किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के ख0न0 2427/916 रकबा 0.2993 है0 भूमि के पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/— अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। [illegible] रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/— [illegible] पत्रावली किया गया। पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:34:55 IST
Reason: SelfAttested